### <u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल</u> (<u>पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह</u>)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:- 77ए / 16</u> संस्थापन दिनांक:-26 / 10 / 16 फाईलिंग नं. 4003512016

चरणदास पिता खुसरू उम्र 50 वर्ष, निवासी तिरमउ, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>वादी</u>

#### वि क्त द्व

- 1. आनंदराव पिता लोधू
- 2. पंजाबराव पिता लोधू
- 3. मंगर्या पिता नत्थू
- रामनाथ पिता नारायण सभी निवासी तिरमउ तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 5. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

## <u>-: ( आदेश ) :-</u>

## (आज दिनांक 30.03.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादी की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण ग्राम तिरमउ के स्थायी निवासी हैं। वादी के पिता खुसरू को इंदिरा गांदी के शासन काल में शासन द्वारा शासकीय भूमि में से 30 गुणा 30 कुल 900 वर्गफिट मकान निर्माण हेतु शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया था जिस पर खुसरू द्वारा मकान निर्माण कर परिवार सहित निवास करता था। वादी के उपर्युक्त मकान में आने जाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 10 फिट का रास्ता छोड़कर स्कूल बाउंड्री का निर्माण किया गया था। अतः वादी एवं उसके पूर्वज हरदोली रोड से स्कूल बाउंड्री के किनारे के रास्ते से अपने मकान तक आना जाना करते चले आ रहे

हैं। प्रतिवादी क. 01 एवं 02 आनंदराव तथा पंजाब के पिता लोधू से खुसरू के पुत्र मयाराम एवं शंकर ने दिनांक 22.06.1979 को ख.नं. 549 कुल रकबा 0.902 हे. में से 0.093 हे. भूमि रिजस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा खरीदी थी। उपर्युक्त भूमि में से ही वादी ने 0.005 हे. भूमि दिनांक 13.04.2012 को मयाराम एवं शंकर से क्य की। उपर्युक्त रिजस्टर्ड विकय पत्र में यह लेख किया गया कि वादी के आने जाने का रास्ता हरदोली रोड से स्कूल बाउंड्री के किनारे से शासकीय भूमि छोड़कर प्रतिवादीगण की भूमि में से रहेगा। साथ ही विक्रेता ने भी विक्रय पत्र में यह उल्लेखित किया है कि जिस रास्ते का वह उपयोग करता था उसी रास्ते का उपयोग केता भी करेगा। वर्तमान में वादी के द्वारा क्रय किये गये भूमि का ख.नं. 549/9 रकबा 0.005 हे. है।

- 3 वादी के पिता खुसरू के द्वारा उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि 30 गुणा 30 कुल 900 वर्गफिट वादी को दिनांक 02.04.2012 को बक्शीशनामा पर दे दी गयी है जिस पर वादी द्वारा मकान का निर्माण किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के सूखाधिकार का हनन करते हुए उसके रास्ते पर कच्चा टपरा एवं कांटेदार तार की फेंसिंग कर वादी का रास्ता पूर्णतः बंद कर दिया गया है जिससे वादी को आने जाने में परेशानी हो रही है। अतः वादीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाये कि वादी के कब्जे की भूमि में आने जाने वाला रास्ता खोला जाये तथा भविष्य में कभी भी रास्ते को अवरूद्ध न किया जाये।
- प्रतिवादी क. 01 से 04 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का संयुक्त रूप से लिखित में जबाव पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि वादी के द्वारा शासकीय भूमि का 900 वर्गफिट का कोई भी पट्टा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी के आने जाने हेत् ग्राम पंचायत द्वारा शासकीय भूमि में 10 फिट का रास्ता छोड़ा गया है जिससे वादी मकान तक आना जाना आज भी करता है। वादी के द्वारा क्रय की गयी भूमि के विक्रय पत्र दिनांक 13. 04.2012 में आने जाने के रास्ते का उल्लेख नहीं है और यह भी लेख नहीं है कि वादी के आने जाने का रास्ता हरदोली रोड से स्कूल बाउंड़ी के किनारे से शासकीय भूमि छोड़कर प्रतिवादीगण की भूमि में से रहेगा। वादी के द्वारा क्रय की गयी भूमि ख.नं. 549/9 रकबा 0.005 हे. का नक्शा भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो कि उक्त भूखंड कहां पर है। वादी के द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये जिस रास्ते का उल्लेख अपने आवेदन में किया गया है वह आज भी खुला हुआ है। प्रतिवादीगण ने उस रास्ते पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत बख्शीशनामा दिनांक 02.04.2012 में भी प्रतिवादीगण की भूमि में से किसी रास्ते का उल्लेख नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जावे।

- 5 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :—
  - 1. क्या वादी के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
  - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
  - 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

# <u>विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण</u>

- वादी ने अपने आवेदन में यह लेख किया है कि उसके पिता खुसरु को शासकीय भूमि पर 900 वर्गफिट भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ था, जिस पर उसके पिता द्वारा मकान निर्माण किया गया तथा मकान तक आने—जाने हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा हरदोली रोड से स्कूल बाउंडी के किनारे से 10 फिट का रास्ता दिया गया था। उक्त रास्ते का उपयोग वादी एवं उसके पूर्वज निरंतर करते चले आ रहे हैं। वादी के द्वारा दिनांक 13.04.2012 को खसरा नंबर 459/2 में से 0.005 हे. भूमि कय की गई तथा विकय पत्र में यह उल्लेखित किया गया कि उक्त भूमि तक आने—जाने का रास्ता हरदोली रोड से स्कूल बाउंडी के किनारे से शासकीय भूमि छोड़कर प्रतिवादीगण की भूमि में से रहेगा।
- 7 वादी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 13. 04.2012 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है एवं किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2015—16, खसरा वर्ष 2013—14 एवं नक्शा तथा हरिजन कल्याण विभाग को दिया गया आवेदन, ग्राम पंचायत तिरमउ के सरपंच को दिया गया आवेदन, बक्शीशनामा एवं स्वयं का शपथपत्र तथा गवाह भादु एवं माधवराव का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 8 प्रतिवादीगण ने अपने आवेदन के माध्यम से यह बताया कि वादी ने स्पष्ट अभिवचन नहीं दिए है, ना ही ऐसा कोई नक्शा प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि वादी जिस रास्ते पर सुखाधिकार का दावा कर रहा है वह किस खसरा नंबर से होकर जाता है। साथ ही प्रतिवादी ने अपने आवेदन में यह भी लेख किया है कि वादीगण के द्वारा खसरा नंबर 549 के समस्त खातेदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। साथ में अपने आवेदन के समधन में दस्तावेज राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन, मौका पंचनामा, सीमांकन हेतु सूचना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि खसरा नंबर 458/1 जो कि आवेदक आनंदराव मंग्रया की भूमि है, उसमें सीमांकन के दौरान उनकी भूमि के कुछ फुट भूमि पर खुसरु एवं चरणदास का मकान बनाकर

कब्जा पाया जाना प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त आवेदन के समर्थन में स्वयं का तथा गवाह बब्लू, रामनाथ, सयाबाई का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

9 वादी के द्वारा जो विकय पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें मात्र यह लेख है कि विकय की गई भूमि में आने—जाने का रास्ता उत्तर दिशा से विकेतागण की तरह केता के लिए भी रहेगा। वादी के द्वारा 900 वर्गफिट भूमि का शासकीय पट्टा जो उसके पिता खुसरु को प्राप्त हुआ था, वह प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत बक्शीशनामा शासकीय भूमि 900 वर्गफिट भूमि जो कि वादी के पिता खुसरु को शासकीय पट्टे में प्राप्त हुई थी, के संबंध में है, उसके अवलोकन से वादी को उस भूमि पर निर्मित मकान पर आने—जाने हेतु कोई रास्ता दिए जाने का उल्लेख नहीं है। वादी के द्वारा शासकीय पट्टा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि उसकी चौहद्दी स्पष्ट हो सके।

वादी द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से 900 वर्गफिट शासकीय भूमि पर निर्मित मकान पर आने-जाने हेतु रास्ते पर सुखाधिकार एवं क्रय की गई खसरा नंबर 549/2 की भूमि पर आने-जाने के रास्ते के सुखाधिकार का अभिवचन किया गया है, जिससे स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि वादी किस रास्ते पर अपने सुखाधिकार का दावा कर रहा है। वादी के द्वारा वाद पत्र के साथ जो नक्शा संलग्न किया गया है। उसमें वादी के द्वारा क्रय भूमि और वादी के पैतृक मकान को लगा हुआ होना बताया है। विक्रय पत्र दिनांक 13.04.2012 के अवलोकन से वादी के द्वारा क्रय की गई भूमि के खसरा नंबर 459/2 का बीच का भाग दर्शित हो रहा है तथा उसमें यह भी लेख है कि जो भूखण्ड बेचा गया है, वह कार्नर पर स्थित नहीं है। तब ऐसी स्थिति में वादी का पैतृक मकान क्रय किए गए भूखण्ड से कैसे लगा हो सकता है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। साथ ही उभयपक्ष के द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता अवरुद्ध किया जाना लेख है, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें शासकीय रास्ता खुले होने का उल्लेख है। स्पष्टतः शपथ पत्र विरोधाभाषी हैं। जिससे इस स्तर पर शपथ पत्र से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वादी द्वारा अपने आवेदन में क्रय की गई भूमि खसरा नंबर 459/2 पर आने-जाने हेतू रास्ते को खोले जाने एवं शासकीय भूमि में से होकर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध करने से प्रतिवादीगण को निषेधित किए जाने की सहायता चाही गई है। वादी के द्वारा दो रास्तों पर सुखाधिकार का दावा किया जा रहा है। वह रास्ता किस भूमि पर रिथत है, वह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में जबिक वादी के अभिवचन से ही स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, तब प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

#### विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

- 11 चूंकि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः सुविधा को संतुलन और अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत भी उसके पक्ष में प्रमाणित नहीं पाया जाता है।
- 12 प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आई.ए.नं. 1 अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।
- 13 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल